


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक: ४-२०१

दिनांक १५/०२/२०२२

विज्ञप्ति

श्री सावंरमल औष्टियोपेथ चेरीटेबल संस्थान को औष्टियोपेथ चिकित्सा केन्द्र हेतु एफ-५, वेस्ट-वे हाइट, गाँव केशोपुरा, आशापुरा, भांकरोटा, जयपुर में ४००० व.मी. भूमि आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो १५ दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

	जयपुर विकास प्राधिकरण Jaipur Development Authority नागरिक सेवा केन्द्र Citizen Care Center		पंजीयन क्रमांक Registration No. 385613	
	प्राप्ति (Receipt)			
Linked CCC Reg. Nos.:				
कিসके लिए अनुरोध किया है। :- Requested For Institutional Land Allotment (CCC-14)				
प्राप्ति दिनांक Receipt Date		28/01/2022		नियत दिनांक Due Date
				14/06/2022
आवेदक का ब्योरा (Applicant's Details)				
आवेदक का नाम Applicant Name		SH. SHREE SANWARLAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN		
पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name		SH. CHAIRMAN- GOVERDHAN LAL PARASHAR		
पता Address		SEC-18 E CHOPASANI HOUSING BOARD NEAR NARCOTICS CONTROL BUREAU JODHGPUR, - PIN:		
चाही गई सेवा से सम्बन्धित भूखण्ड का विवरण (Concerned Plot Details)				
विकासकर्ता का प्रकार Developer Type		विकासकर्ता का नाम Developer Name		
योजना का नाम Scheme Name				
योजना की लोकेशन Scheme Location		भूखण्ड का प्रकार Type Of Plot		
भूखण्ड संख्या Plot No.		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)/(वर्ग मीटर में) Plot Area (Sq.Yds.)/(Sq. Mtr.)		
चालान सं. Challan No		राशि (रुपयों में) Fee In Rs.		दिनांक Date
सलग्न दस्तावेज (Document(s) enclosed)				
अतिरिक्त सलग्न दस्तावेज की सूची (List of additional document(s))		दस्तावेजों की संख्या Total Documents		पृष्ठों की संख्या No.of Pages
ORIGINAL DD. NO. 503081 RS 5000 AND COCOUMANT PHOTO COPY				
सम्बन्धित कार्यालय AC(LPC)	सम्बन्धित अधिकारी AC (LPC)	प्रभारी अधिकारी AC (LPC)		

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/ संगठन का नाम	श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	Dr. गोवर्धन, भाग्य पाराशर
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	905-B 2nd D रोड, सरदारपुरा, जोधपुर 9829630012, drparashar@rediffmail.com
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य	औष्टियोपेथ चिकित्सा केंद्र
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	वेस्ट टो दार्डस
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	4000 F-5 करौपुरा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	संलग्न - 18 E, चोपारानी एडमिंग बोर्ड, जोधपुर
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न 44/जोधपुर/07-08
(ii) बाईलॉज/ रेग्युलेशन	संलग्न
(iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	संलग्न 2018-19, 19-20, 20-21
(iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	
(v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न
(vi) रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 28/01/22

स्थान : जोधपुर

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/ चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत। निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

क्र.सं.	पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं	
1	आवेदक का नाम/ पता	डा. गोवर्धन लाल पाराशर / श्री सांवर लाल ओष्टियोपेथ चैरिटेबल संस्थान जोधपुर
2	शहर/ कस्बे/ कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	वेस्ट वे टाईट्स , गांधी केशोपुरा आसपुरा , भोकरौटा , जयपुर
3	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/ कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	F-5 , 88/ केशोपुरा 3624.32 Sq. Mt
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	44/जोधपुर/2007-08 दिनांक 31/05/07 SII श्री सांवर लाल ओष्टियोपेथ चैरिटेबल संस्थान
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न - 2018-19 , 2019-20, 2020-21
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न .
6.1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	सभी को टारगेट को बुजुर्ग , गरीब पीढ़ी , वृद्धता आय एवं रोग पीड़ित व्यक्तियों स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	NA
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल।	NO
8	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	NA.

→ 31/05/2019

9	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवाई गई।	—
10	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	—
11	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	—
12	चाही गई भूमि नगर निगम/ नगर परिषद/ स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर।	JDA सीमा के अन्दर
13	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/ सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण।	संलग्न
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	N.A.
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण।	N.A.
14	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य।	सामाजिक रूप से परियोजना का लाभ समाज के सभी तबकों को प्राप्त होगा।
15	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण।	संलग्न
16	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण।	NO
17	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत।	NA
18	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	NO
19	अन्य विवरण।	NO

28/06/2017

निजी कम्पनियों, निजी निवेशकों एवं साझेदारी फर्मों को व्यवसायिक/ औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में कमेटी :-

(i)	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(iii)	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
(iv)	मुख्य नगर नियोजन (एन.सी.आर.) राजस्थान	सदस्य
(v)	निदेशक स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
(स्वायत्त शासन/ नगर निगम/ नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों के लिए)		
(vi)	वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि	सदस्य
(vii)	संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि	सदस्य
(viii)	संबंधित संयुक्त शासन सचिव, नविवि	सदस्य


उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में प्राधिकरण के सचिव एवं निदेशक, नगर नियोजन, नगर सुधार न्यासों से संबंधित प्रकरणों में सचिव, नगर सुधार न्यास एवं नगर नियोजन से संबंधित अधिकारी, नगर निगमों/ नगर परिषदों, नगर पालिकाओं के प्रकरणों में उनके मुख्य नगरपालिका अधिकारी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

संबंधित विभागों के सचिव/ विभागाध्यक्ष को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकेगा।

नोट : भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जाएगा। समिति की सिफारिश मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु रखी जाएगी।

⑥

स्व- घोषणा पत्र



मैं/ हम.....श्रीदरशन लाल पाराशर.....पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री...श्रीदर...लाल...पाराशर..
उम्र.....65.....वर्ष, निवासी.....जोधपुर.....जिला.....जोधपुर.....
राजस्थान घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ
संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं
गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं
जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे
द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 28-01-22

स्थान : जोधपुर

श्री सावरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्रीदरशन लाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

आवेदक के हस्ताक्षर

संक्षिप्त विवरण

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर विश्वविख्यात ऑस्टियोपैथिक उपचार केंद्र के रूप में जाना जाता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान है, जिसे बीमारियों को ठीक करने के लिए ऑस्टियोपैथी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत किया गया है। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर द्वारा अस्थि एवं मांसपेशियों की कई बीमारियों जैसे सर्वाइकल स्पोन्डीलाइटिस, माइग्रेन, फ्रोजन सोल्डर, गर्दन की अकड़न, स्लिप डिस्क, हिप्स एवीएन, घुटने संबंधी रोग जिनमें कार्टिलेज का घिस जाना, आर्थराइटिस, फ्लूइड सूख जाना, घुटने में गैप आ जाना, मोच, एन्काइलोजिंग स्पोन्डीलाइटिस, बोन डिस्लोकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, पेन ड्राप प्रॉब्लम, सर्वाइकल, टेनिस एल्बो, शोल्डर पैन, फुट स्प्रेन, लिगामेंट टियर, बैक स्पाज्म, कलाई दर्द, स्पाइन फ्लूइड लीकेज, सायटिका, हाथों-पैरों में सूनापन जैसी बीमारियों का लागत मात्र के शुल्क पर इलाज किया जाता है।

संस्थान अध्यक्ष डॉ गोवर्धनलाल पाराशर को दर्द हरने की पारंपरिक विद्या विरासत में अपने पिता सांवरलाल जी से मिली। उन्होंने 1967 में अपने पिता के साथ मिलकर रोगियों की सेवा करना शुरू कर दिया था। उस समय उनके पिता के पास औसतन 30-40 मरीज नित्य आते और उनके हाथों के जादू भरे स्पर्श से उनका दर्द काफूर हो जाता।

1967 से ही वे कुम्हारिया कुआ स्थित अपने पिता के छोटे से क्लिनिक पर नन्हें सहयोगी की भूमिका में जुड़ गए। सबसे पहले उन्हें मरीजों की पट्टियां खोलने का काम मिला, जिसके चलते उन्होंने कई बुनियादी बातें सीखीं।

शहर की परंपरागत तंग गलियों में पुश्तैनी क्लिनिक होने के चलते और दिनों-दिन मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते बार-बार क्लिनिक्स बदलनी पड़ीं। इस चिकित्सा पद्धति की

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

सांवरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

लोकप्रियता और मरीजों के दर्द से लाभ के जादुई आंकड़े के चलते जोधपुर से बाहर, राज्यभर और विदेशों से भी इस विद्या के चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की मांग उठने लगी।

इस अनूठी पारंपरिक पद्धति के अधिकारिक प्रचार-प्रसार के लिए 2007 में श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर की स्थापना हुई। पूरे साल में लगभग हर महीने 3-4 दिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर देशभर में आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों में संस्थान द्वारा गरीब मरीजों के रहने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। संस्थान द्वारा अब तक 4000 निःशुल्क कैम्प किये गए हैं, जिनमें आसपास के गांवों के गरीब मरीजों को प्राथमिकता से इस इलाज से जोड़कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया।

राजस्थान सरकार ने 2013-14 में संस्थान के नाम 1350 वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया, जिस पर दानदाताओं-भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से अतिआधुनिक सुविधाओं वाला एक चिकित्सालय बनकर तैयार हुआ है।

आज जब चिकित्सा सुविधाएं महंगी हो चली हैं, ऐसे में लागत मात्र के शुल्क पर श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर द्वारा मरीजों को हड्डी, मांसपेशियों और जॉइंट संबंधित बीमारियों में इलाज प्रदान कर रहा है। किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई जांच करवाने के लिए नहीं कहा जाता।

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष डॉ गोवर्धनलाल पाराशर जो कि सदैव अपने कर्म के प्रति जागरूक और कर्मनिष्ठ रहते हैं, ने मरीजों की सेवा के बदले कभी सम्मान या प्रशस्ति की चाह नहीं रखी। उनकी सोच है कि उनके जैसे सेवाभावी लोगों का अपना निजी जीवन नहीं होता। वह आमजन को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा। उनकी

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

Dr. Govardhan Parashar

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

इन्हीं उपलब्धियों और विचारधारा का सम्मान करते हुए विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।

9

श्री जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ द्वारा 2008 में स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा 12 मई, 2011 में राव जोधाजी स्मृति पुरस्कार के तहत मारवाड़ रत्न-2011 सम्मान प्रदान किया गया। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, करवड़, जोधपुर द्वारा 2011 में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 2007 में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। भारत विकास परिषद, नागौर द्वारा 2009 में सम्मान प्रदान किया गया। 2006 में वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान प्रदान किया गया।

शोभा सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज, सीकर, पिंगसिटी प्रेस क्लब, जयपुर, प्रतिभा श्री सम्मान, आइकॉन ऑफ मारवाड़, समन्वय परिवार, जोधपुर द्वारा, अमृत महोत्सव 2007 में प्रशस्ति पत्र, बृहमा गंगा पत्रिका ग्वालियर एवं ब्राह्मण समाज द्वारा 2011 में बृहमा रत्न अलंकरण आदि प्रमुख सम्मान हैं, जो समय-समय पर श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष डॉ गोवर्धनलाल पाराशर को मिले हैं।

राष्ट्रीय उपलब्धियां

डॉ गोवर्धनलाल पाराशर को राष्ट्रीय स्तर पर देशभर में कई सम्मान मिले हैं। देशभर में 4000 से ज्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करते हुए वे आमजन को स्वास्थ्य लाभ का तोहफा दे चुके हैं। नई दिल्ली में 19 नवम्बर, 2007 को इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। मिजोरम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एमएम लखेरा द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा चुका है। लायनेस क्लब इंदौर, ग्रेटर द्वारा 2006-07 में स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा चुका है। The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) द्वारा 27 से 29 अगस्त, 2009 में शिविर आयोजित करने के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा चुका है। मुणोत फाउंडेशन, मुंबई द्वारा स्मृति चिन्ह, मरुधर मित्र परिषद, मुंबई द्वारा 2013 में सम्मान, RYA मेट्रो एवं विशाल जैन यूथ एसोसिएशन चेन्नई द्वारा 2009 में

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

सम्मान, मारवाड़ी युवा मंच, गांधीधाम 2010, हंसराज मिलाप भंडारी ट्रस्ट, बेंगलोर 2009, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ द्वारा गुणी अभिनंदन सम्मान 2008, जोधपुर एसोसिएशन कोलकाता 2008, निरामय खाड़की पुणे द्वारा प्रशंसा पत्र, सीकर नागरिक परिषद, कोलकाता द्वारा 2012 में अभिनंदन पत्र, श्री माहेश्वरी समाज, संयोगितागंज, इंदौर द्वारा 2009 में अभिनंदन पत्र, आचार्य श्री नानेश समता ट्रस्ट, मुंबई द्वारा अभिवादन पत्र आदि प्रमुख हैं।

इसके अलावा देशभर के सैन्य मुख्यालयों, छाँवनियों, स्थायी चौकियों पर अब तक हजारों शिविर आयोजित कर जवानों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस हेतु भी देशभर की सैन्य संस्थाओं, अधिकारियों ने हड्डी वैद्य (अस्थि चिकित्सक) गोवर्धनलाल पाराशर को सम्मानित किया है।

अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां

हड्डी वैद्य (अस्थि चिकित्सक) गोवर्धनलाल पाराशर को उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी कई बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। अब तक दुनिया के कई देशों में चिकित्सा शिविर के माध्यम से वे विदेशी मरीजों को भी स्वास्थ्य लाभ का तोहफा दे चुके हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप, थाईलैंड द्वारा 6-8 मई, 2007 में कैम्प आयोजन हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। भाटिया जनरल कांटेक्टिंग कंपनी, दुबई द्वारा 2008 में कैम्प आयोजन हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। रजनीश ट्रेडर्स, दुबई द्वारा 22-29 अगस्त, 2008 में कैम्प आयोजन हेतु सम्मान प्रदान किया जा चुका है। Nepal Rashtriya Marwadi Yuwa Sansthan, August 2013 में भी सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के साथ बतौर चिकित्सक वे भूटान की यात्राएं कर चुके हैं।

अस्थि चिकित्सा को बुलंदियों तक ले जाने का सपना संजोने वाले डॉ गोवर्धनलाल पाराशर अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल हुए हैं। अपने 35 सालों के अस्थि चिकित्सा सेवा

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

प्राप्त हुई है। मरीज रोते बिलखते आए, इलाज के बाद दुआएं देते हुए गए। यह सब मानव सेवा को प्राथमिकता देने के चलते सम्भव हुआ।

अस्थि चिकित्सा में किसी प्रकार के टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। इलाज के दौरान अंगुलियों और अंगूठे के जरिए मरीज के रोग की जड़ तक पहुंचकर उसका निदान किया जाता है। पेशेवर चिकित्सक की तरह भले ही वह आर्थिक व्यवसायिक उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए, लेकिन देशभर के प्रमुख शहरों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में सेवा देकर देशवासियों का प्रेम हासिल किया, यही उनकी पूंजी है।

आज विभिन्न संगठनों, संस्थानों, विभागों, सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, स्मृति चिन्ह आदि उनके घर की दीवारों पर प्रचुर मात्रा में सहेजे हुए हैं। समाज के निम्न तबके से लेकर विशिष्टजन तक के इलाज के दौरान ऐसे अनेक अनुभव हैं, जिनके चलते मरीजों को लाभ हुआ और वे आज भी यदा कदा दर्द की स्थिति में सीधा संपर्क करते हैं। मरीजों की सेवा को उन्होंने सीखते रहने का एक जरिया माना, ताकि पूर्व के अनुभवों से भविष्य के रोगियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
 21/06/21
 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 44 / जोधपुर / 07-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सांवरलाल
 औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
 रवाडा फलस्त, जोधपुर जिला जोधपुर का
 राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
 अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज
 किया गया।



यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक 31 माह 05 सन् 2007

को जोधपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार (अध्यापक)
 जोधपुर

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष/सचिव

श्री सांवरलाल औद्योगिक

चेरिटेबल संस्था

रवाठा मल्ल जोधपुर

विषय :- राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था के
रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 44/जोधपुर/07-08
दिनांक 31/5/17 पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4, 4 (क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 (चौदह) दिन के अन्दर-अन्दर निम्नलिखित सूचना भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था के मामले का प्रबंध जिस को सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शाषी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सू. में के नाम, पत्ते और उनके पेशे की सूचना, मय उन पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष के दौरान (जिस वर्ष की सूची है) समस्त परिवर्तनों को दर्शाया गया हो।
3. संस्था के नियमों विनियमों की एक प्रति तारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, संचालकों न्यासियों या सदस्यों में से कम से कम तीन के द्वारा प्रसारित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों व विनियमों में किये गये परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त वर्णित रीति से सही प्रमाणित की गई हो। ऐसा परिवर्तन करने की तारीख के 14 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये। आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रावधानों की पालना में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसा अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि अपराध के लिये प्रथम अपराध के सिद्ध के पश्चात चूक जारी रहती है तो पचास रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना में या धारा 4 (क) के अधीन "रजिस्ट्रार संस्थाएं" को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों, उद्देश्यों में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या दोष करता है तो दण्डनीय होगा। अपराध सिद्ध होने पर ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपये तक की राशि से दण्डित हो सकेगा। प्रत्येक परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवावे। इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का पंजीयन क्रमांक व वर्ष अंकित करें।

श्री सांवरलाल औद्योगिक चेरिटेबल संस्था

जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)

जोधपुर

विधान-नियमावली

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम 'श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान' है तथा रहेगा
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय द्वारा डा0 गोवर्धनलाल पाराशर, कुम्हारियों का कुआ, खाण्डा फलसा, जोधपुर है तथा इस कार्यक्षेत्र तक सीमित हैं ।
3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

गोवर्धनलाल
अध्यक्ष

सांघव

कोषाध्यक्ष

1. औष्ठियोपेथी की शिक्षा का प्रसार करना - संस्थान जाति, धर्म, लिंग तथा वर्ण की विषमता के बिना छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, नैतिक एवं समग्र विकास हेतु औष्ठियोपेथी पद्धति हेतु विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना, संचालन और व्यवस्था करना, औष्ठियोपेथी की शिक्षा का प्रसार करना, औष्ठियोपेथी शिक्षा का प्रशिक्षण कराना, औष्ठियोपेथ सेण्टर पर औष्ठियोपेथ पद्धति द्वारा ईलाज करना व प्रशिक्षण देना ।
2. औष्ठियोपेथ सम्बन्धी जानकारी हेतु शिविर लगा कर जनता को जागरूक करना ताकि बिना साईड इफैक्ट के जनता स्वस्थ रह सके ।
3. बाहर से आने वाले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों के लिये ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था हेतु गेस्ट हाउस बनाना एवं उसका संचालन करना ।
4. औष्ठियोपेथी सम्बन्धी पुस्तकालय बनाना एवं उसका संचालन करना ।
5. हड्डी में घनत्व जाँच, नर्व कण्डेन्सन जाँच, आई वी एस सम्बन्धी रोगों की जाँच करना ।
6. छात्र-छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिये संस्थान सदैव प्रयत्नशील

गोवर्धनलाल
अध्यक्ष

गोवर्धनलाल
सचिव

गोवर्धनलाल पाराशर
कोषाध्यक्ष

आज दिनांक 17.8.15 को श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन संस्था के मुख्यालय पर समिति के अध्यक्ष महोदय डा. गोवर्धनलाल पाराशर की अध्यक्षता में सांय 3.00 बजे किया गया जिसमें प्रबन्ध कारिणी के सदस्य उपस्थित हुए। सामिति की कार्यकारिणी को इस बैठक में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये :-

प्रस्ताव नं०	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय								
1-	गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	संस्था की कार्यकारिणी के सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की गत बैठक में लिये गये निर्णयों एवं कार्यवाही की पुष्टि की। बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।								
2-	संस्था के कार्यक्षेत्र जोधपुर को सम्पूर्ण भारत करने के संशोधन करने पर विचार।	<p>संस्था की कार्यकारिणी के सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया संस्था के सदस्य बनने हेतु जोधपुर जिले के बाहर यथा दिल्ली आदि के व्यक्ति भी संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं तथा संस्था का सदस्य बनने हेतु आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान में संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर जिले तक ही सीमित है। समिति के कार्यकलापो को सम्पूर्ण भारत में बढ़ाये जाने हेतु समिति के कार्यक्षेत्र को जोधपुर से बढ़ाकर निम्नानुसार सम्पूर्ण भारत करने की आवश्यकता है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>उपनियम क्रमांक</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>उपनियम क्रमांक</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td><td>इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर तक सीमित है।</td><td>2.</td><td>इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत तक सीमित होगा।</td></tr> </tbody> </table> <p>इस प्रस्ताव पर संस्था की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने अपनी सहमती प्रकट की तथा संस्था के कार्यक्षेत्र को जोधपुर से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत करने के लिये समिति की विशेष आम सभा बुलाये जाने हेतु सर्व सम्मति से संस्था की विशेष आम सभा की दिनांक 05.9.15 तय की गई तथा संस्था के संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली में कार्यक्षेत्र सं० 2 में संशोधन करने हेतु समिति के अध्यक्ष व सचिव को अधिकृत किया गया। बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।</p>	उपनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	उपनियम क्रमांक	संशोधित प्रावधान	2.	इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर तक सीमित है।	2.	इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत तक सीमित होगा।
उपनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	उपनियम क्रमांक	संशोधित प्रावधान							
2.	इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर तक सीमित है।	2.	इस संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत तक सीमित होगा।							

गोवर्धनलाल
(गोवर्धनलाल पाराशर)
अध्यक्ष

गोपाल पाराशर
(गोपाल पाराशर)
सचिव

नंदकिशोर पाराशर
(नंदकिशोर पाराशर)
कोषाध्यक्ष

गोवर्धनलाल
अध्यक्ष

गोपाल पाराशर
सचिव

नंदकिशोर पाराशर
कोषाध्यक्ष

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
गोवर्धनलाल
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

राजस्थान सांसाधन अधिनियम-1958 की
पारा 19 के अन्तर्गत
यह पत्रादि संस्था के जवन से प्रस्तुत किये
गये पत्र जो कार्यक्षेत्र का विस्तार में पृष्ठ
संख्या..... तक
उपलब्ध है का पुनः प्रस्तुत है।
ह. नरुन तैयार करने वाले के.....
ह. नरुन निबन्धकर्ता के.....
बकल देने का तारख.....
राजस्टर (संस्थादे)
जोधपुर

7. संस्थान अनुदान एवं दान ग्रहण कर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखेगा ।
8. आम जनता के बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के लिये साधन उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य, पोषण, विविध रोगों सम्बन्धी जानकारी तथा उनके बचाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान समाज सेवकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और औष्टियोपेथ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं उनकी सुव्यवस्था करना सम्मिलित रहेगा । हडिडियों एवं नाड़ी से सम्बन्धित रोगों का उपचार विशेष रूप से औष्टियोपेथ द्वारा केम्प लगाकर भी किया जा सकेगा ।
9. एड्स जैसे प्राणलेवा रोग से रक्षा के लिये संस्थान जन जाग्रति उत्पन्न करेगा । इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव से सजग करते हुए लोगों को सीमित और सुखी परिवार की महत्ता से परिचित कराना ।
10. मद्यपान तथा नशे की समस्या से मुक्ति के लिए संस्थान, विज्ञापन, प्रचार, जन सम्पर्क आदि प्रविधियों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा करेगा ताकि नशे के अभ्यस्त लोग नशे की लत से मुक्ति पाकर, अपनी तथा अपने तथा परिवार की आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कर पाने में समर्थ हो सकें ।
11. पश्चिमी राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान, भूमि की अल्प उर्वरता एवम् कम वर्षा के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए वृक्षारोपण तथा पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिए संस्थान, जन-जन को प्रेरित करना ।
12. वृद्ध एवं निराश्रित पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए संस्थान आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ।
13. संस्थान अपने बहुआयामी कार्यक्रमों के विस्तार के लिए : पत्र - पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना ।
14. रक्तदान के शिविर आयोजित करना तथा लोगों को एक और प्रोत्साहित करना ।

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

सांवरलाल
सचिव कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल
अध्यक्ष

गोपाल
सचिव

गोपाल
कोषाध्यक्ष

15. अन्य वो सभी उद्देश्य जो विशेष व तत्कालीन परिस्थितिवश करना उचित प्रतीत हो ।
16. समस्त औष्टियोपेथी सम्बन्धी रोगों की जाँच एवम् उपचार हेतु देश-विदेश में शिविर लगा कर एवं उपरोक्त सभी उद्देश्यों हेतु देश-विदेश में शिविर लगा का जाँच एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ

निहित नहीं हैं ।

4. संस्था का कार्यभार निम्नानुसार एक कार्यकारिणी को सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	डॉ. गोवर्धनलाल पाराशर पुत्र स्व. श्री सांवरलाल पाराशर	चिकित्सा	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	अध्यक्ष
2.	श्री गिरिराज पुत्र श्री गोवर्धन लाल पाराशर	सहायक चिकित्सक	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री गोपाल पाराशर पुत्र श्री मनोहर लाल पाराशर	सहायक चिकित्सक	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	सचिव
4.	डॉ. नन्द किशोर पाराशर पुत्र स्व. श्री सांवर लाल पाराशर	चिकित्सक	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति शोभा पत्नी स्व. श्री मनोहर लाल पाराशर	गृहणी	2/253-254, कुड़ी भगतासनी हा.बो.जोधपुर	सदस्य
6.	जगदीश नागौरी पुत्र स्व. श्री भंवरलाल नागौरी	व्यापार	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	सदस्य
7.	मधुसुदन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल पाराशर	सहायक चिकित्सक	2/253-254, कुड़ी भगतासनी हा.बो.जोधपुर	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण आगे लिखे अनुसार हैं इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इसे संस्था के रूप में गठित करने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल
अध्यक्ष

गोपाल
सचिव

नन्दकिशोर पाराशर
कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	डा० गोवर्धन लाल पाराशर पुत्र श्री सांवरलाल पाराशर	चिकित्सा	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	21/12/21 (21/12/21)
2.	डा० नन्दकिशोर पाराशर पुत्र श्री सांवरलाल पाराशर	चिकित्सा	कुम्हारिया कुआँ, खाण्डा फलसा, जोधपुर	नन्दकिशोर पाराशर
3.	श्री मधुसूदन पाराशर पुत्र श्री मनोहर लाल पाराशर	चिकित्सा	2/253-254, कुड़ी भगतासनी हा.बो.जोधपुर	Madhudan Pashar
4.	श्री गोपाल पाराशर पुत्र श्री मनोहरलाल पाराशर	चिकित्सा	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार जोधपुर	गोपाल
5.	श्री गिरिराज पुत्र श्री गोवर्धन लाल	चिकित्सा	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार जोधपुर	Giriraj Pashar
6.	श्री जगदीश नागौरी पुत्र स्व. श्री भंवर लाल	व्यापार	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार जोधपुर	जगदीश
7.	श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल	विद्यार्थी	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार जोधपुर	श्याम
8.	श्री अशोक पाराशर पुत्र स्व. श्री भंवर लाल	व्यापार	चांदशा तकिया, सोजती गेट, जोधपुर	अशोक
9.	श्री शाबीर अन्सारी पुत्र श्री मो. रमजान	सर्विस	1 st रोड़, कुम्हारों के मन्दिर के पास, सरदारपुरा, जोधपुर	शाबीर 21/12/21
10.	श्री दिनेश पाराशर पुत्र श्री मुरलीधर	चिकित्सक	2/253-254, कुड़ी भगतासनी हा.बो.जोधपुर	दिनेश
11.	श्रीमति मन्जू लता पत्नी श्री गोवर्धन लाल	गृहणी	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार	मन्जुलता
12.	श्री रंगरूपमल कोठारी पुत्र श्री जबरमल सा कोठारी	सेवानिवृत्त	853, चौपासनी रोड़, जोधपुर	रंगरूपमल
13.	श्रीमति नीतु नागौरी पत्नी श्री जगदीश	गृहणी	कुम्हारिया कुआँ, आड़ा बाजार	नीतु
14.	श्रीमति समता पाराशर पत्नी श्री अशोक	गृहणी	चांदशा तकिया मार्केट, सोजती गेट	समता
15.	श्रीमति रचना पत्नी श्री दिनेश पाराशर	गृहणी	2/253-254, कुड़ी भगतासनी हा.बो. जोधपुर	रचना
16.	श्रीमति शोभा पत्नी श्री मनोहर लाल	गृहणी	253/2, कुड़ी भगतासनी हा. बो., जोधपुर	शोभा

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान


अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष


गोवर्धनलाल
अध्यक्ष


गोपाल
सचिव


गोवर्धनलाल
कोषाध्यक्ष

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं । हम यह भी घोषित करते हैं कि इस संस्थान के सदस्य नहीं हैं ।



(राजपत्रित अधिकारी)
नाम व व्यवसाय (राम चन्द्र भाटी)
सहायक कोषाधिकारी
व पूर्ण पता (शहर) जांघपुर



(राजपत्रित अधिकारी) (रतन सिंह सिन्हा)
सहायक आयुक्त
नाम राजपत्रित अधिकारी
व पूर्ण पता (शहर) जांघपुर


अध्यक्ष


सचिव

गन्धीनशेर पारभार
कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष


अध्यक्ष


सचिव

कोषाध्यक्ष

रहेगा । जिसमें उनके लिए भवन, छात्रावास, वाचनालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि बनवाना एवं उनकी सुव्यवस्था करना सम्मिलित रहेगा ।

7. संस्थान अनुदान एवं दान ग्रहण कर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखेगा ।
8. आम जनता के बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के लिये साधन उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य, पोषण, विविध रोगों सम्बन्धी जानकारी तथा उनके बचाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान समाज सेवकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और औष्ठियोपेथ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं उनकी सुव्यवस्था करना सम्मिलित रहेगा । हड्डियों एवं नाड़ी से सम्बन्धित रोगों का उपचार विशेष रूप से औष्ठियोपेथ द्वारा केम्प लगाकर भी किया जा सकेगा ।
9. एड्स जैसे प्राणलेवा रोग से रक्षा के लिये संस्थान जन जाग्रति उत्पन्न करेगा । इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव से सजग करते हुए लोगों को सीमित और सुखी परिवार की महत्ता से परिचित करना ।
10. मद्यपान तथा नशे की समस्या से मुक्ति के लिए संस्थान, विज्ञापन, प्रचार, जन सम्पर्क आदि प्रविधियों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा करेगा ताकि नशे के अभ्यस्त लोग नशे की लत से मुक्ति पाकर, अपनी तथा अपने तथा परिवार की आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कर पाने में समर्थ हो सकें ।
11. पश्चिमी राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान, भूमि की अल्प उर्वरता एवम् कम वर्षा के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए वृक्षारोपण तथा

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष

श्री सांवरलाल
सचिव

श्री सांवरलाल
कोषाध्यक्ष

पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिए संस्थान, जन-जन को प्रेरित करना ।

12. वृद्ध एवं निराश्रित पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए संस्थान आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ।
13. संस्थान अपने बहुआयामी कार्यक्रमों के विस्तार के लिए : पत्र - पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना ।
14. रक्तदान के शिविर आयोजित करना तथा लोगों को एक और प्रोत्साहित करना ।
15. अन्य वो सभी उद्देश्य जो विशेष व तत्कालीन परिस्थितिवश करना उचित प्रतीत हो ।

श्री सावरलाल मेरिमेथल संस्थान
 अध्यक्ष साधव कोषाध्यक्ष

16. समस्त औष्टियोपेथी सम्बन्धी रोगों की जाँच एवम् उपचार हेतु देश-विदेश में शिविर लगा कर एवं उपरोक्त सभी उद्देश्यों हेतु देश-विदेश में शिविर लगा का जाँच एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।
 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं ।

4. सदस्यता

: निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों ।
2. बालिग हो ।
3. पागल व दिवालिया न हो ।
4. संस्था के हित को सर्वोपरी समझता हो ।
5. अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था का सदस्य न हो ।

5. संस्था के सदस्यों का वर्गीकरण

: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किये जा सकेंगे ।

1. विशिष्ट
2. साधारण

श्री सावरलाल
 अध्यक्ष

साधव
 सचिव

श्री सावरलाल
 कोषाध्यक्ष

संस्थान के गठन के समय बनी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी विशिष्ट सदस्य होंगे ।

संस्थान में नये सदस्य केवल कार्यकारिणी की सर्व सम्मति से ही बनाए जा सकेंगे ।

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क / चन्दा :

उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा देय होगा ।

1. विशिष्ट सदस्य - 500/- रु. आजीवन
 2. साधारण सदस्य - 100/- रु. वार्षिक
- उक्त राशि एक मुश्त जमा करवाई जा सकेगी ।

7. सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :-

- 1- मृत्यु होने पर ।
- 2- त्याग पत्र देने पर ।
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर
- 4- कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।
- 5- समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर लिखित में न करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु सही समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

साधारण सभा संस्था की सर्वोत्तम सभा होगी एवं संस्था के सम्पूर्ण अधिकार इसमें निहित होंगे ।

- 1- कार्यकारिणी का चुनाव करना ।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना ।
- 3- कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्द्धन तथा परिवर्तन करना ।

श्री सावरलाल औद्योगिक चेरिटेबल संस्थान
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

श्री सावरलाल
अध्यक्ष

श्री सावरलाल
सचिव

श्री सावरलाल
कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा ।

- 5- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना ।
- 6- वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना ।
- 7- संस्था की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा करना ।
- 8- समय-समय पर कार्यकारिणी को आवश्यक दिशा-निर्देश देना ।

10. साधारण सभा की बैठक

- (1) साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, सचिव द्वारा कभी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी ।
- (2) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा ।
- (3) बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- (4) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी, जो पुनः सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डे में थे ।
- (5) संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इसमें से जो भी कम हो द्वारा लिखित में आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाली समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे ।

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा । जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

श्री सांवरलाल
अध्यक्ष

श्री सांवरलाल
सचिव

श्री सांवरलाल
कोषाध्यक्ष

1. अध्यक्ष — एक
2. उपाध्यक्ष — एक
3. सचिव — एक
4. कोषाध्यक्ष — एक
5. सदस्य — तीन

इस प्रकार कार्यकारिणी में चार पदाधिकारी व तीन सदस्य कुल सात होंगे ।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. अध्यक्ष आजीवन अध्यक्ष रहेंगे ।
2. सचिव एवं कोषाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे ।
3. अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में उनके द्वारा पहले से नामित सदस्य अध्यक्ष होगा । अन्यथा उनका वरिष्ठ उत्तराधिकारी अध्यक्ष होगा ।
4. कार्यकारिणी के शेष चार सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा का किया जायेगा ।
5. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा ।
6. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी ।

13. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य

1. संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे ।
2. सदस्य बनाना/निष्काशित करना ।
3. वार्षिक बजट तैयार करना ।
4. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना ।
6. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को क्रियान्वित करना ।
7. कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियाँ बनाना ।
8. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना ।

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की-वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी जो आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी ।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।
3. बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जा

श्री सांवरलाल
 अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

सकेगी तथा अत्यावश्यक बैठक परिपालन से कम समय में भी की जा सकेगी ।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी जो पुनः पूर्व निर्धारित व सूचित दिन निर्धारित स्थान पर समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करना आवश्यक होगा ।

15. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व पदाधिकारियों के कर्तव्य निम्न प्रकार के होंगे :-

1. अध्यक्ष -
 1. बैठको की अध्यक्षता करना ।
 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
 3. बैठक आहूत करना ।
 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

2. उपाध्यक्ष -

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

3. सचिव -

1. बैठक अध्यक्ष की आज्ञा से आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना ।
3. आय-व्यय का नियंत्रण रखना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों का नियंत्रण रखना तथा

उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

20/06/2019
अध्यक्ष सचिव

कोषाध्यक्ष

श्री सा

अध्यक्ष

20/06/2019
अध्यक्ष

गोपाल
सचिव

गन्धीजीर पार्
कोषाध्यक्ष

5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र व्यवहार करना ।
7. समिति की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना ।
8. बैंक के खातों व चैक का संचालन करना ।

4. कोषाध्यक्ष -

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त करना व रसीद देना ।

16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा -

1. चन्दा
2. अनुदान
3. शुल्क
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान
- (1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी ।
- (2) अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा ।

श्री सांवरल चेरिटेबल संस्थान

गोवर्धन लाल

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी अधिकारी

1. संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि को एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।
1. अध्यक्ष - रुपये 25,000/-
2. सचिव - रुपये 10,000/-
3. कोषाध्यक्ष - रुपये 7,500/-

18. संस्था का अंकेक्षण

समिति के समस्त लेखा-जोखा का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जावेगी ।

19. समिति के विधान में परिवर्तन

समिति के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल 2/3 बहुमत से परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

गोवर्धन लाल

अध्यक्ष

गोवर्धन

सचिव

गोवर्धन लाल

कोषाध्यक्ष

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य व संस्था को हस्तांतरित का दी जायेगी, लेकिन उ समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनि 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के लेखों-जोखों का निरीक्षण

द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

रजिस्ट्रार (संस्थायें), जोधपुर अथवा उसके प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा उन

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नियमावली श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान" की सही व सच्ची प्रतिलिपि हैं ।

श्री सांवरलाल
अध्यक्ष

गोपाल
मन्त्री

ग-५१६२४२ पार
कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

आदेश

कार्यालय आयकर अधिनियम-11
आयकर प्रमाण पत्र, जिला 11, जोधपुर

दिनांक 19/11/2007

विषय: आयकर अधिनियम 1981 की धारा 80C के अधीन छूट।

दानदाताओं द्वारा श्री सांख्यिक और औद्योगिक चेरिटेबल संस्थान को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1981 की धारा 80 जी के अन्तर्गत उक्त धारा में निहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट दिनांक 19/11/2007 से 31-3-2010 को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 2010-11 तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होंगी -

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीदों पर इस आदेश की संख्या व दिनांक अंकित किया जावे और यह स्पष्ट रूप से बताया जावे कि यह प्रमाण-पत्र किस दिनांक तक मान्य है।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण, त्रिट्टा इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता है सालाना प्रस्तुत किया जाये।
3. यदि संस्था के संविधान/विधान के पठन में कोई संशोधन किया जाता है तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जाए।
4. न्यास/संस्था को दी गई दान की राशि के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।

नोट: इस प्रमाण पत्र के आधार पर न्यास को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह जाँच पड़ताल करें कि निर्धारित/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 2/15 के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए और 13 में उल्लिखित शर्तें पूर्ण करता है या नहीं।

क्रमांक : आ.आ.-11/जो./आ.व.तक./2008-09

दिनांक 19-11-2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष/न्यास/साचिव - श्री सांख्यिक और औद्योगिक चेरिटेबल संस्थान
 2. सहायक अध्यक्ष/आयकर अधिकारी - जोधपुर
- कि न्यास प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जाँच पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं इस समय में लागू की जाने वाली शर्तों को निरंतर पूरा करता है या नहीं।

श्री सांख्यिक और औद्योगिक चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर

अध्यक्ष

साचिव

कोषाध्यक्ष

आयकर अधिकारी (जकोमी)
जोधपुर

30



श्री सावरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
21/05/2007
अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

लाल मैदान, पायट्टा सी रोड, जोधपुर

श्री सांवरलाळ आशिषीर्वण चौहलन श्रध्यान
जीदापूर (राजग)

विषय—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए (ए) के अर्थात न्याया/संस्था का पंजीकरण

प्रार्थी जो व्यास वित्त / बेगरोडम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 03/12/2007 को अर्पण गति
है ने दिनांक 03/12/2007 को निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम 1981 की धारा 12ए(१) के अन्तर्गत
पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 03/12/2007 को प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित रूपान्तर में है। ये नि-
म्नलिखित कारणों से - विन विन न होने पर निषेध रहे - मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त नहीं
प्राप्त करने के कारण प्रस्तावित होने से इस तरह का एक किया जाता है अनग्रहीत एका कितने से
प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तावित - अनुचित न होने के फलस्वरूप प्रार्थना छात्र को जाते हैं
व्यास / सत्यानंद प्रार्थना पत्र न हो प्रस्ताव करने के कोई कारण न बताये के फलस्वरूप पंजीकरण
दिनांक 03/12/2007 से प्रमाण होगा ।

प्रार्थना पत्र के धारा 12ए(ए) के अन्तर्गत द्वा कार्यलय के प्रार्थना पत्र पत्रों के रजिस्ट्रेशन पर दर्ज कर लिया गया है ।

सत्य

60/33

६०
(अष्टादश चारण)
अथर्व आहुतिः ॥
ज. गोधर्मा

नोट= इस प्रमाण पत्र के अद्यार पर न्यास की अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह ज्ञान पड़तात करे कि निर्धारित (न्यास) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्राक्यता के अनुसार धर्मार्थ (वेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए(ए) धारा 13 में उल्लिखित शर्त पूरी करता है या नहीं।

क्रमांक-आजा-IV/जो/आअवि (तक)/2006.08/ 2-081

दिनांक- 19/8/11/2007

प्रतिलिपि सूचनाथ :-

श्री सांख्यशास्त्रे श्री सांख्यशास्त्रे श्री सांख्यशास्त्रे

2. आयकर अधिकारी को सुपन्न एवं जागरूक कार्यवाही हेतु निरंतर दिए जाते हैं कि इस मामले में यह कार्य के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता की समस्या में मैं अलग से जाँच करे क्योंकि धारा 12ए(ए) के अर्थन एकीकरण देने से ही कोई मामला अपने आप धारा 11 और 80¹ के तहत छूट का हकदार मान्य नहीं होनाता।

श्री सावरलाल औद्योगिक चेरिटेबल संस्थान

১৯৪৮-৪৯

अध्यक्ष

鐵

कोषाध्यक्ष

[illegible]

Dr. Sh. Sonmani

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त-11

आयकर भवन, पावटा सी, रोड, जोधपुर-1

आदेश

116/116

दिनांक 19/11/2007

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अधीन छूट।

दानदाताओं द्वारा श्री सावरलाल और गोविंद मेरिट्रेवल संस्थान

को दिये गये दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत उक्त आय में निहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट दिनांक 10/11/2007 से 31-3-2010 को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 2008-1

तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होगी :-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीदों पर इस आदेश की संख्या व दिनांक अंकित किया जावे और यह स्पष्ट रूप से उपाया जावे कि यह प्रमाण-पत्र किस दिनांक तक मान्य है।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण, चिट्ठा इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता है सालाना प्रस्तुत किया जाये।
3. यदि सरथा के संविधान/विधान के पठन में कोई संशोधन किया जाता है तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जाए।
4. न्यास/संस्था को दी गई दान की राशि के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 में के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आयकर आयुक्त-11
जोधपुर

नोट: इस प्रमाण पत्र के आधार पर न्यास को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह जाँच पड़ताल करें कि निर्धारित/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 2/15 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी (चरित्रेवल) है या नहीं और धारा 11-12 और 12ए और 13 में उल्लिखित शर्तें पूर्ण करता है या नहीं।

क्रमांक: आ.आ-11/जो/आ.अ(तक)/2006-07/ 2002

दिनांक 19-11-2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष/न्यासी/सचिव श्री सावरलाल और गोविंद मेरिट्रेवल संस्थान, जोधपुर
2. सहस्रक-प्रमुख-आयुक्त/आयकर अधिकारी जोधपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि न्यास प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्पष्ट जाँच पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं इस संसय में लागू की जाने वाली शर्तों को निरंतर पूरा करता है या नहीं।

श्री सावरलाल और गोविंद मेरिट्रेवल संस्थान

जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

आयकर अधिकारी (विकीकी)
आयकर अधिकारी (विकीकी)
आयकर अधिकारी (विकीकी)



भारत सरकार

कार्यालय

Office of the
आयकर आयुक्त (छूट)

Commissioner of Income Tax (Exemptions),
तृतीय तल, कैलाश हाईट्स, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015
No.CIT (E)/JPR/ITO(Hqrs.)/2018-19/ 4663

Dated: 05.09.2018

To,

The Trustee/Secretary/President,
Shree Sawarlal Osteopath Charitable Sansthan,
Khand Falsa,
Jodhpur

PAN-AAITS5994B

Subject: - Renewal of approval u/s 80G(5)(vi) of I.T. Act, 1961- regarding

Please refer to your application dated NIL on the subject cited above.

In connection with the above, I am directed to inform you that as per the CBDT's circular No. 7/2010, dated 27.10.2010 approvals u/s 80G(5) expiring on or after 1st October, 2009 shall be deemed to have extended in perpetuity unless specifically withdrawn. Hence, there is no need for renewal of approval u/s 80G(5)(vi) in your case. Copy of the related circular No. 7/2010, dated 27.10.2010 is enclosed for ready reference.

Yours faithfully,

Encl. As above.

(Pankaj Dixit)

Income Tax Officer (Hqrs.).
For Commissioner of Income-tax
(Exemptions), Jaipur.

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

34



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated : 15-10-2021

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,
SHREE SANWAR LAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN , KHANDA
FALSA,,JODHPUR,RJ18,RJ,342001

PAN : AATS5994B

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities

Reference: Your application dated 15-10-2021 (SRN-T54442025)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00016341. Please refer the registration number for any further communication.

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष



Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.

सांवरलाल औष्ठियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर
 वजीयन सं. ११४४ / जोधपुर / ०१-०३ दिनांक-३१.६.२००१
 (सांवरलाल सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट १९६६ की धारा ४ के अन्तर्गत)

दिनांक २५.८.२०१६ को निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची

क्र.सं०	नाम/ पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
१.	डा. गोवर्धनलाल पाराशर	चिकित्सक	९०५ दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	अध्यक्ष
२.	श्री गोपाल पाराशर	चिकित्सक	९०५ दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	उपाध्यक्ष
३.	डा. गिरिराज पाराशर	चिकित्सक	९०५ दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	सचिव
४.	डा. नंद किशोर पाराशर	सहायक चिकित्सक	९०५ दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	कोषाध्यक्ष
५.	श्री हेमन्त कुमार पाराशर	सहायक चिकित्सक	९०५ दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	सदस्य समिति
६.	श्री जगदीश नागोरी	सहायक चिकित्सक	कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	सदस्य समिति
७.	श्री मधुसूदन पाराशर	सहायक चिकित्सक	कुम्हारिया कुआ आडा बाजार जोधपुर	सदस्य समिति

गोवर्धनलाल
 (गोवर्धनलाल पाराशर)
 अध्यक्ष

गिरिराज
 (गिरिराज पाराशर)
 सचिव

नंदकिशोर पाराशर
 (नंदकिशोर पाराशर)
 कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर

गोवर्धनलाल

गिरिराज

नंदकिशोर पाराशर

श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चेरिटेबल संस्थान
 गोवर्धनलाल
 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

राजस्थान सोसायटी अधिनियम-१९६६ की
 धारा १९ के अन्तर्गत
 यह पत्रादि संस्था के सदस्यों में प्रस्तुत किया
 गया पत्र जो कार्य के लिए प्रस्तुत है
 सक्षम है का प्रमाण है कि
 उपलब्ध है का प्रमाण है कि
 ह. नकल संसाधन कार्य के लिए है
 ह. नकल संसाधन कार्य के लिए है
 प्रकृत देने का प्रमाण है

राजस्थान (संस्थाएं)
 जोधपुर

कार्यालय श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चैरिटेबल संस्थान, जोधपुर

पंजीयन संख्या - /जोधपुर/07-08 दिनांक-31.5.2007

(संस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1955 की धारा 4 के अन्तर्गत)

दिनांक 25.3.2018 को निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची

क्र.सं०	नाम/ पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	डा. गोवर्धनलाल पाराशर	चिकित्सक	905 दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल पाराशर	चिकित्सक	905 दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	उपाध्यक्ष
3.	डा. गिरिराज पाराशर	चिकित्सक	905 दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	सचिव
4.	डा. नंद किशोर पाराशर	सहायक चिकित्सक	905 दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री हेमन्त कुमार पाराशर	सहायक चिकित्सक	905 दूसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर	सदस्य समिति
6.	श्री जगदीश नागोरी	सहायक चिकित्सक	कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	सदस्य समिति
7.	श्री मधुसूदन पाराशर	सहायक चिकित्सक	कुम्हारिया कुआ आडा बाजार जोधपुर	सदस्य समिति

गोवर्धनलाल पाराशर
(गोवर्धनलाल पाराशर)
अध्यक्ष

गिरिराज पाराशर
(गिरिराज पाराशर)
सचिव

नंदकिशोर पाराशर
(नंदकिशोर पाराशर)
कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चैरिटेबल संस्थान, जोधपुर

गोवर्धनलाल पाराशर

गिरिराज पाराशर

नंदकिशोर पाराशर

श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चैरिटेबल संस्थान

गोवर्धनलाल पाराशर
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

संस्थान सोसायटी अधिनियम-1955 का
धारा 19 के अन्तर्गत

यह पत्रादि संस्था के तब से प्रस्तुत किये
गये पत्रों का कार्य निष्पत्ति में प्रकट
सक्या...

उपलब्ध है का पुष्टि प्रमाण है...

ह. मकल लेखांक के पत्रों के...

ह. मकल मिलनकारी के...

बकस देने का लाला...

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
जोधपुर

कार्यालय श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर
— नवीन कार्यकारिणी अनुमोदनार्थ — निर्वाचन दि. 25.8.2016

क्र. सं.	नाम	पद
1.	डा. गोवर्धनलाल पाराशर	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल पाराशर	उपाध्यक्ष
3.	डा. गिरिराज पाराशर	सचिव
4.	डा. नंद किशोर पाराशर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री हेमन्त कुमार पाराशर	सदस्य समिति
6.	श्री जगदीश नागोरी	सदस्य समिति
7.	श्री मधुसूदन पाराशर	सदस्य समिति

गोवर्धनलाल
(गोवर्धनलाल पाराशर)
अध्यक्ष

गिरिराज
(गिरिराज पाराशर)
सचिव

नंदकिशोर पाराशर
(नंदकिशोर पाराशर)
कोषाध्यक्ष

गोवर्धनलाल

गिरिराज

नंदकिशोर पाराशर

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल

अध्यक्ष सचिव व.

राजस्थान सांख्यिकी अधिनियम-1958 का
धारा 19 के अन्तर्गत

यह पत्रादि सन्स्था के लक्ष्य में प्रस्तुत किया
गये पत्र जो कार्यालय के लक्ष्य में प्रस्तुत
सन्स्था...

उपलब्ध है का छुट्टी का दिनांक 25/8/16
ह. नकल संचालक के लक्ष्य में

ह. नकल संचालक के लक्ष्य में

नकल देने का सादर...

राजस्थान (संसाधन)
जोधपुर

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

गोवर्धनलाल

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

SHREE SANWARLAL
OSTEOPATH
CHARITABLE SANSTHAN
[Project Report]

1. INTRODUCTION

The charitable sansthan is in operation since 60 years and nearly involved the service of two generation who devoted their heart out for serving the patients without earning any profits from the patients. Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sansthan aspires to provide place for osteopathy treatment and easily accessible quality healthcare to patient coming from all over the world along with training and education in Osteopathy.

Shri Sanwarlal Parashar started the profession in 1960 with the purpose to treat the patients with a non profit motive. The purpose was to serve the patients and to spread the ancient technique of Osteopathy. Slowly and gradually people became aware of this technique. There were several examples where allopathy failed but those disease were cured by technique of Osteopathy.

The objectives of sansthan include providing osteopathy and physiotherapy assistance, providing the training to Osteopathy's and Orthopaedic trainees. We have been organizing several camps for the last several years in India as well as abroad which includes camps at Dubai, Kenya, Switzerland, Ethopia, Bangkok, Indonesia, Vietnam, France, German, South Africa, U.S.A., U.K. etc. Dr. Govardhan Lal Parashar was

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

5110660 1111

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

also awarded in UNO as "DOCTOR OF MAGICIAN" for his sincere and skillful work of Osteopathy.

The above-mentioned services are not only effective but also extremely needful in country like India and in particular context to Rajasthan to provide economic treatment of disease with scientific authenticity and internationally fame and recognized form of medical science like Osteopathy along with the traditional and effective knowledge of Ayurveda.

It is needful and desired to develop an internationally fame Osteopathic cum Ayurvedic centre, which shall provide not only medical assistance to the people at large but also to make this centre, a forum for knowledge research and to develop more Doctors and dedicated technical persons like Dr. Goverdhan Parashar to the people of state.

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

गोवर्धन पारशर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

We have specialized in the treatment of diseases like

- Cervical
- Cervical Spondylitis
- Frozen Shoulder
- Scapula Spasm
- Lumber Spondylitis
- Lumbago
- Sciatica
- Vertigo
- Hip Joint Ankylosing
- Spondylitis
- strain and sprain
- all types of knee joint pain
- migraine
- tennis elbow
- slip disk of cervical and lumber and
- various types of Tissue and tendon treatment and joints.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

2779467 2127

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

2: PROJECT INSIGHTS

The Hospital is projected to serve roughly about one lac patients annually. It is aimed at serving the need of the community.

The project involves construction of Osteopathy, Physiotherapy and Ayurveda Centre in Jaipur district. It is estimated to come up in a floor space of 4000 Sq metre per floor (i.e., Basement + 5 floors). It shall consist of-

- a. Treatment area and waiting area for Osteopathy, Physiotherapy and Ayurveda services respectively.
- b. One floor shall be specifically allocated to wards, distinctively for male and female patients, with a capacity of 15 beds each
- c. One floor shall be for accommodation rooms for individual patients requiring admission in hospital.
- d. Waiting area is supposed to accommodate minimum 100 patients
- e. 10 Tables shall be allocated for Osteopathy
- f. Consultancy chambers and a cafeteria.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

Dr. Anil Malik

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

The activities of Sansthan include:

- a) Promoting Osteopathy education.
- b) Physiotherapy services include Electrotherapy, pediatric- therapy and exercise therapy.
- c) Providing accommodation facilities to out station patients.
- d) Encourage and boost up the publication of books, magazines journals tracts pamphlets brochures etc. aimed at mass awareness.
- e) To aid medical poor patient.
- f) Establishing an educational institute and also for providing hostel facility.
- g) The Doctors have been indulged in various research programmes, out of which one is Research in Spinal Cord Injury- a very critical issue that science needs to address.
- h) The Hospital aims to set up training institute for providing training to prospective doctors in the field of Osteopathy, Physiotherapy and Ayurveda.
- i) For the sake of curing the diseases mentioned above, we tend to use various machinery which includes, Physiotherapy equipments i.e., Tens, SWD, Traction (Lumber and cervical), EMS (Electric Muscles Stimulator), Gallvinic and Faradic Current etc.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

45

3. TEAM PROFILE:

A) Dr Goverdhan Lal Parashar-Founder

Occupation: Doctor

Age: 59 YEARS

Dr. Goverdhan Lal Parashar joined his father to cure patient through Osteopathy. He is a Doctorate of Osteopath, London from New England Osteopath College and also possess the degree of P.H.Ed from New Age University ,Sebago, Italy and is also Ayurved Ratna.

Achievements:

- He was awarded certificates at the District Level on 15.08.2003.
- He was awarded Gold medal of WHO at Kolkatta for treating 1 Lac slip disk patients.
- He was awarded certificate by the then Vice President Shri Bhairav Singh Shekhawat on the occasion of Veer durga das Jayanti at Jodhpur.
- He was awarded a certificate by his Excellency the Governor of Rajasthan on state level at Kota.
- He was awarded a certificate of Magician by WHO at Geneva, Switzerland.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

21/08/2003
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

- f) He was awarded certificate of Indira Gandhi Priyadarshani award on the occasion of 88 Birth Anniversary of Late Smt. Indira Gandhi at New Delhi.
- g) He was awarded with Ethiopian award by the Government of Ethiopia.
- h) On 17th August 2008, 'Holistic Healing' (Osteopathy), Alternative Research Institute, Canada awarded Dr. Parashar with 'Physician of the New Millennium 2000'.
- i) He was awarded certificate- Pratibha Shri Samman by his highness Maharaja Gaje singh Ji.
- j) On 12th May 2003, Mr. Parashar was honoured as Doctor of Medicine (Alternative Medicine) by 'Indian Board of Alternative Medicine'.
- k) On 9th April 2006, Mr. Parashar was awarded Gold Medal by 'New Age International University'.

Dr. Parashar has always believed in treating people by Osteopathy and he wishes optimum use of this therapy to cure people. For this he has organized many treatment camps to cure people through this therapy. Till now he has organized treatment camps in 167 countries and 1850 camps in India to cure people. On an average, yearly 100 treatment camps are organized by him. Dr. Parashar

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

21/11/2017

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

has also organized many camps in various army brigades. Dr. Parashar is a very reputed personality in Indian Army.

Many famous personalities and leaders like Lt. Prime Minister Smt. Indira Gandhi, Sonia Gandhi, A. P. J Abdul Kalaam, Manmohan Singh, Pratibha Devi Singh Patil, Vasundhara Raaje, Arjun Singh, famous industrialist Aditya Birla, Naveen Jindal, actor Dharmendra, Hritik Roshan, Nana Patekar, Shivaji Saatam, Devanand, Rajesh Khanna, John Abraham, Mithun Chakraborty, Sunny Deol, Anupam Kher, Salim Khan, Salmaan Khan, actress Priyanka Chopra, Cricketer Sachin Tendulkar, Former President of America Geroge W. Bush, President of Kenya General MWAJ Kibaki, President of US Barack Hussian Obama and many more has gone under treatment by him.

Dr. Parashar is also an author of famous book 'Osteopathy - A Unique & Extraordinary Alternative Procedure'. English translation of which is already published in 2014.

Writer journalist Moinuddin Chishty, who has received 'Freedom Fighter Jawahar Lal Darda Memorial Lokmat Journalism Award', a very prestigious award given by IBN Lokmat Group, presented biography of Dr. Parashar in April 2014 with title 'Dr. Goverdhan Lal Parashar - Jaadui Sparsh Ki Swarnim Gaatha'.

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

21/08/2014 11/11

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

B) Dr. Nandkishore Parashar

Occupation: Doctor

Age: 43 YEARS

Dr Nandkishore Parashar is an Ayurved Ratna along with Master in Osteopath and Master in Naturopeth.

Experience and Achievements:

- a) Working in SSOC since 20 years.
- b) Has organised awareness camps about Body Postures at domestic and international level.
- c) He was awarded certificates at the District Level in Jodhpur and Pali.
- d) He was awarded certificate by the his Highness Gaje Singh ji on the occasion of Veer durga Das Jayanti at Jodhpur.

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चैरिटेबल संस्थान
अध्यक्ष
सचिव
कोषाध्यक्ष

C) Dr Giriraj Parashar

Occupation: Doctor

Age: 30 YEARS

Dr Giriraj Parashar is Master of Physiotherapist with specialisation in Ortho.

Dr. Parashar is an expert and successful Osteopath and at the same time is a very humble and polite personality. He treats all his patients with affection and smile on his face. He is a great follower of serving people and whenever required he is always ready to help his patients. It gives a proud feeling to know personalities like Dr. Parashar who have devoted their lives to serve people.

Experience and Achievements:

- a) Working in SSOC since 2008.
- b) Has served in Bombay Hospital, Indore for 2 years.
- c) Has given lectures on Osteopathy in Capetown, South Africa in 2014.
- d) Has organised awareness camps about Body Postures at domestic and international level.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

21/11/2019
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

- e) He was awarded certificates at the District Level on 15.08.2015 by State Minister of Power and Energy Gajendra Singh Khimsar.
- f) He was awarded certificate by His Highness Gaje Singh Shekhawat on the occasion of Veer Durga Das Jayanti at Jodhpur.

श्री सांवरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
21/06/15
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

D) Dr Hemant Parashar

Occupation: Doctor

Age: 28 YEARS

Dr Hemant Parashar is a Master in Yoga, Master in Osteopath and Master in Naturopath.

Experience and Achievements:

- a) Working in SSOC since last 5 years.
- b) Has organised awareness camps about Body Postures at domestic and international level.
- c) He was awarded certificate by the his Highness Gaje Singh ji on the occasion of Veer Durga Das Jayanti at Jodhpur.

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर माल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

The hospital has infused new and advanced technology in the treatment of various bones and joints related problems and has earned good name in a short span on account of such developments.

For Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sanasthan

गोवर्धन लाल

President.

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान


गोवर्धन लाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

53



100000 sq.ft. Total Buildup area
Basement 20000 sq.ft. Parking
G. floor 20000 sq.ft. Reception and waiting area, O. acupath and physiotherapy Department
1st floor 20000 sq.ft. Male and Female panchakarma.
2nd floor 20000 sq.ft. Male and Female ward.
3rd floor 20000 sq.ft. Room Block

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

5/11/2019

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त द्वितीय, जोधपुर
सेक्टर 11, चौपत्तनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर**



क्रमांक 1462

दिनांक 21/9/13

आवंटन पत्र

श्री सांवरलाल औषधियोपेथ चैरिटेबल संस्थान
श्री सांवरलाल औषधियोपेथ चैरिटेबल संस्थान
805-ए सरदारगुप्त रोड, जोधपुर

रजिस्टर्ड

विषय :- विस्तारित जल प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मकान की मालिकाने
होल्डिंग में आवंटन करने का आवंटन पत्र।

संदर्भ :-

उपरोक्त विस्तारित लेख है कि दिनांक 10.08.2013 सम्पत्ति आवंटन समिति के विनू संख्या 2 के निर्णयानुसार अपनी संपत्ति को मकान की मालिकाने होल्डिंग, जोधपुर के सेक्टर 11 ई में 1350 वर्ग मीटर भूमि अत्यंत प्रत्येक वर्ष मकान के लाने के निमित्त एवं सर्वे पर आवंटित किये जाने का निर्णय किया गया है। उपरोक्त राजस्थान साकार नगरपालिका विभाग के सदस्य सातन सचिव-प्रधान के पत्र क्रमांक 27/148/नजीब/3/2013 जोधपुर दिनांक 12.08.2013 के निर्णयानुसार मकान के अंश 213/2013 के अनुसार वे राजस्थान नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक कोर्टेज एवं सामाजिक संस्थाओं को सौंपी गयी पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत आवंटन करके रत की 5 प्रतिशत पर आवंटित किये जाने की संज्ञा प्रदान की गई है एवं संपत्ति प्रत्येक (मुद्रा) के पत्र क्रमांक मुद्रा/2013/1068 दिनांक 23.08.13 द्वारा राज्य सरकार की संज्ञा के अनुसार आवंटन पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त आवंटन पत्र मण्डल के विस्तारित जल प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अनुसार होगा।

मुख्य की कीमत का विवरण :-

1	मुख्य की कीमत 1350 वर्ग मी @ 765/- प्रति वर्ग मीटर (वर्ष 2013-14 को चौपत्तनी योजना, जोधपुर को आवासीय की अवधि दर के अनुसार रत 15285/- प्रति वर्ग मीटर का 5 प्रतिशत)	10,32,750.00
2	विशेष छूट की राशि @ 5%	30,983.00
2	लेख राशि (एक वर्ष की अवधि) $765 \times 1350 = 10,32,750 \times 5\% = 51,638/-$ राज्य सरकार की आवंटन नीति के विनू 5.15 के अनुसार	51,638.00
3	स्थानीय नगरपालिका संस्थाओं को देय राशि @ 15% (भूमि की लागत का)	1,54,913.00
4	प्रत्येक वर्ष प्रोपर्टी रत	1,000.00
5	लेख राशि एक मुद्रा (सिद्धि) $51,638 \text{ प्रति वर्ष} \times 7 = 3,61,466/-$	3,61,466.00
6	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$ योग	16,32,759.00

उपरोक्त राशि 16,32,750/- का डिमांड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मंडल जोधपुर के पत्र में
संलग्न इस पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में संलग्न वास्तव द्वारा जमा करवाकर
वास्तव की प्रति एवं वांछित प्रपत्र पूर्ण कर के इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवंटन की शर्तें :-

- उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर मुख्य की कीमत का आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा एवं मंडल भूमि किरी भी रास्ता को आवंटन करने हेतु पूर्णतः से
निरस्त होगा।

(11)

श्री सांवरलाल औषधियोपेथ चैरिटेबल संस्थान

सचिव
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

2. भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिसके लिए मंडल ने भूखण्ड आवंटित किया है किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही वाणिज्यिक लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किया जायेगा।
3. संस्था को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करवाना आवश्यक होगा। दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बने अधुरे निर्माण को यदि कोई होगा तो मण्डल द्वारा अधिग्रहित कर लिया जायेगा, जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
4. यदि किसी कारण से संस्था के कार्यरत नहीं रहने या अन्य संस्था में वित्तीयकरण होने की स्थिति में आवंटित भूमि एवं उस पर किये गये निर्माण बिना मुआवजे के राजस्थान आवासन मण्डल में स्वतः ही समाहित हो जायेगी एवं कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
5. समय समय पर इस संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल, एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की पालना की जानी आवश्यक होगी।
6. भविष्य में राज्य सरकार/रा.आ.म.मुख्यालय/अपेक्षित द्वारा किसी प्रकार की बकाया राशि निकलती है, उक्त बकाया राशि आपकी संस्था को जमा करवानी होगी।
7. संस्थान द्वारा संचालित अस्पताल में मण्डल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क व प्रतिशत छूट दी जायेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के नियमों के तहत अस्पताल कार्य करेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर मण्डल द्वारा निर्मित चार दीवारी पर व्यय की गई राशि मौलिक कच्चा प्राप्त करने से पूर्व जमा करवानी होगी।

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य संपदा प्रबन्धक, रा.आ.म. जयपुर।
4. संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय), रा.आ.म. जयपुर को आपके पत्रांक 1068 दिनांक 23.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-प्रथम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि भूखण्ड चार दीवारी के निर्माण पर व्यय की गई राशि अभ्योदयकारिता को सूचित करावे, ताकि कच्चा पत्र जारी किया जा सके।
6. लेखाधिकारी वसुली, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रतिलिपि
उप-आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
जोधपुर, जोधपुर
23/09/13

उप-आवासन आयुक्त
23/09/13

22/09/2013

श्री सावरलाल औस्टियोपेथ चैरिटेबल संस्थान
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

58

AUDIT REPORT

FOR THE ACCOUNTING YEAR

2018 - 2019

OF

SHREE SANWAR LAL
OSTEOPATH CHARITABLE
SANSTHAN

0, KHANDA FALSA, JODHPUR, RAJASTHAN-342001

BY
AUDITORS :

MAYANK P SINGHVI AND
CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN

FORM NO. 10B

[See rule 17B]


Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

I have examined the balance sheet of **SHREE SANWAR LAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN** [name of the trust or institution] PAN **AAITS5994B** as at **31/03/2019** and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or institution. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named trust visited by me so far as appears from my examination of the books, and proper Returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by me, subject to the comments given below:

In my opinion and to the best of my information, and according to information given to me, the said accounts give a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named trust as at **31/03/2019**
- (ii) the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its accounting year ending on **31/03/2019**

The prescribed particulars are annexed hereto.



for **MAYANK P SINGHVI AND CO**
Chartered Accountants

Mayank

MAYANK SINGHVI
(PARTNER)

M.No. : 409296

FRN : 0014446C

BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE,
9TH CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN

UDIN - 19409296 AAAAGK9298 .

Date : 30/10/2019

Place : JODHPUR

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

58

ANNEXURE
STATEMENT OF PARTICULARS
I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year	22270994
2.	Whether the trust has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year	No
3.	Amount of income Accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust wholly for such purposes.	3428982
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	No
	<i>Details</i>	<i>Amount</i>
5.	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	0
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof	Not Applicable
7.	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof	Not Applicable
8.	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
	(a) has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	No
	(b) has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or	No
	(c) has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof	No

ग-५ अंश २ पार २१२
Ginning Partner -



Partner (YANK S)
M.P. 40105, 2010/11

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
७०८८०१०१०१
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)

1.	Whether any part of the income or property of the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any			No
	Details	Amount	Rate of Interest Charged	Nature of Security, if any
2.	Whether any land, building or other property of the trust was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any			No
	Details of Property			Amount of rent or compensation charged
3.	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details			No
	Details			Amount
4.	Whether the services of the trust were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any			No
	Details			Amount of Remuneration/ Compensation
5.	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the trust during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid			No
	Details			Amount of Consideration Paid
6.	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the trust during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received			No
	Details			Amount of Consideration Received
7.	Whether any income or property of the trust was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted			No
	Details			Income or value of property diverted
8.	Whether the income or property of the trust was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details			No
	Details			Amount

गान्धारी पारार
Srinivasa Panthar



Mayank

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

०११ ०११ ०११

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

60

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

Sl. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col. 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say, Yes/No
1	2	3	4	5	6
Total			Nil	Nil	

for MAYANK P SINGHVI AND CO
Chartered Accountants

Mayank

MAYANK SINGHVI
(PARTNER)

M. No. : 409296

FRN : 0014446C

BACHHRAJJI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001 RAJASTHAN
UDIN - 19409296 AAAAGK9298

Date : 30/10/2019
Place : JODHPUR

गणेशदास पारशर
Swing Partner

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

गोवर्धन लाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

SHREE SANWARLAL OSTEOPATH CHERITABLE SANSTHAN
KHANDA FALSA
JODHPUR

Balance Sheet
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Liabilities		as at 31-Mar-2019	Assets	as at 31-Mar-2019
Capital Account			Fixed Assets	
Trust Fund	7,40,78,088.58	7,40,78,088.58	BUILDING CHB, JODHPUR	6,37,67,113.00
Loans (Liability)			INSTRUMENTS	27,91,547.00
Current Liabilities			Air Condition	1,37,489.80
Sundry Creditors	10,95,819.00	14,25,819.00	AQUA WATER PURIFIAR	2,835.09
Audit Exp Payable	30,000.00		BATTERY	24,790.00
TDS PAYABLE	3,00,000.00		CAR (FIAT)	1,00,000.00
Suspense A/c			CCTV	36,500.00
Excess of expenditure over income			COMPUTER, PRINTER ETC.	2,64,278.72
Opening Balance			FURNITURE & FIXTURES	11,445.00
Current Period	1,63,58,918.84		GENERATOR	1,96,000.00
Less: Transferred	1,63,58,918.84		INSTRUMENT	36,239.00
			INVERTOR/BATTERIES	11,950.15
			MOBILE INSTRUMENT	50,000.00
			REFREZETOR	20,000.00
			ROOM HEATER	5,450.00
			TVS SCOOTY	12,213.65
			UPS	4,471.85
			WATER PUMP	40,686.00
			WEIGHING SCALE & PRINTER	30,000.00
			Investments	
			Current Assets	
			Deposits (Asset)	12,23,101.00
			Loans & Advances (Asset)	50,000.00
			Cash-in-hand	7,73,802.60
			Bank Accounts	59,13,994.72
Total		7,55,03,907.58	Total	7,55,03,907.58

श्री सांवरलाल औपस्थिपेथ चरिटेबल संस्थान
विवरण -



Chartered
Mayank
Partner (M)

श्री सांवरलाल औपस्थिपेथ चरिटेबल संस्थान

गोपाल लाल

अध्यक्ष

सचिव


कोषाध्यक्ष

SHREE SANWARLAL OSTEOPATH CHERITABLE SANSTHAN
KHANDA FALSA
JODHPUR

Income and Expenditure Statement
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Particulars	1-Apr-2018 to 31-Mar-2019	Particulars	1-Apr-2018 to 31-Mar-2019
Indirect Expenses		Indirect Incomes	
Salary	26,45,552.00	BANK INTEREST	1,60,771.00
Electricity Expense	27,14,199.00	Discount	2,676.00
Expense for Professional Receipt	21,91,394.45	DONATION (Recd.)	1,41,78,482.00
ADVERTISEMENT EXP.	57,701.00	DOORMITORY	12,39,000.00
Audit Exp	30,000.00	Fees for Professional Receipt	51,85,001.00
BANK CHARGES	9,064.40	MISC. INCOME	4,888.00
BUSINESS PROMOTION EXP.	1,20,666.00	OSTEOPATH	34,98,150.00
CONSULTATION CHARGES PAYABLE	24,25,970.00	PANCHKARMA	3,86,691.95
CONSUMABLE EXP.	41,480.00	PHYSIOTHERAPY	9,87,300.00
CONVEYANCE EXP.	36,980.00	PROFESSION RECEIPT	13,62,219.76
Courier/Postage Exp.	2,681.00	ROOMS	9,65,800.00
DIESEL/PETROL/CONVEYANCE EXP.	1,00,323.00	YOGA	73,900.00
DISH-TV	9,400.00		
HOSPITAL EXPENSES	1,04,940.00		
ISO CERTIFICATION CHARGES	21,240.00		
Medicine/Oil/Gause/Crape Bandage Etc.	1,61,367.00		
NEWS PAPER / PERIODICALS	2,541.00		
OFFICE EXPENSES	51,231.00		
PANCHKARMA EXP.	54,263.00		
Printing & Stationary Exp.	1,29,230.00		
Repair & Maintaince of Vehical Exp.	6,230.00		
Repair & Maintenance Exp.	2,53,523.00		
ROUND OFF	197.00		
Staff Welfare	6,688.00		
Tea / Coffee Etc. Exp.	3,350.00		
Telephone/Mobile/Net/Cable/Web Exp.	2,16,959.02		
TRADE MARK	22,000.00		
Traveiling / Camp / Conveyance Exp.	61,490.00		
Washing / Cleaning Exp.	1,50,201.00		
Water Exp.	55,060.00		
Excess of income over expenditure	1,63,58,918.84		
Total	2,80,44,879.71	Total	2,80,44,879.71

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चरिटेबल संस्थान
 Giving Partner -



M/S. MAYANK
 Chartered

Partner (Firm)
 M.NO. 409273, P.A.

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चरिटेबल संस्थान
 गोदावरी-1 तालिका
 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

19-20

63

AUDIT REPORT

FOR THE ACCOUNTING YEAR

2019 - 2020

OF

SHREE SANWAR LAL
OSTEOPATHIC CHARITABLE
SANSTHAN

0, KHANDA FALSA, JODHPUR, RAJASTHAN-342001

BY
AUDITORS :

MAYANK P SINGHVI AND
CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

BACHHRAJJI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN

64

FORM NO. 10B

[See rule 17B]

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

I have examined the balance sheet of SHREE SANWAR LAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN [name of the trust or institution] PAN AAITS59943 as at 31/03/2020 and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or institution. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named trust visited by me so far as appears from my examination of the books, and proper Returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by me, subject to the comments given below:

a) With respect to payment exceeding the limit in section 40A(3)/269SS/269T in cash, it is not possible for us to verify whether the payments in excess the specified limit in section 40A(3)/269SS/269T have been made otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft, as the necessary evidence are not in possession of the assessee.

(b) Sundry debtors, Sundry Creditors and Unsecured loans or Cash Creditors are subject to the management verification.

(c) The Audit is done on a test verification basis and during the course of audit few instances have been noticed where various Statutory dues has been lately i.e., after the due date of payment.

(d) We have not verified payments made via cash vouchers and other sundry expenses because the same were not produced before us by the management.

In my opinion and to the best of my information, and according to information given to me, the said accounts give a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named trust as at 31/03/2020
- (ii) the case of the profit and loss account of the profit or loss of its accounting year ending on 31/03/2020

The prescribed particulars are annexed hereto

Date : 14/01/2021
Place : JODHPUR



for MAYANK P SINGHVI AND CO
Chartered Accountants

Mayank

MAYANK SINGHVI
(PARTNER)

M. No. : 409296

FRN : 0014446C

BAJAJHRAJJIKA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE,
9TH CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
जोधपुर
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

65

ANNEXURE
STATEMENT OF PARTICULARS
I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year	18724287
2.	Whether the trust has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year	No
3.	Amount of income Accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust wholly for such purposes.	3100792
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	No
	Details	Amount
5.	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	0
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof	Not Applicable
7.	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof	Not Applicable
8.	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
	(a) has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	No
	(b) has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or	No
	(c) has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof	No

श्री सावरलाल औष्ठियोपेथ



Mayank

श्री सावरलाल औष्ठियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
जोचलाल
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)

1.	Whether any part of the income or property of the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any			No
	Details	Amount	Rate of Interest Charged	Nature of Security, if any
2.	Whether any land, building or other property of the trust was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any			No
	Details of Property			Amount of rent or compensation charged
3.	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details			No
	Details			Amount
4.	Whether the services of the trust were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any			No
	Details			Amount of Remuneration/ Compensation
5.	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the trust during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid			No
	Details			Amount of Consideration Paid
6.	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the trust during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received			No
	Details			Amount of Consideration Received
7.	Whether any income or property of the trust was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted			No
	Details			Income or value of property diverted
8.	Whether the income or property of the trust was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details			No
	Details			Amount



Mayank

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष

सचिव

निदेशक

67

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

Sl. No	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say, Yes/No
1	2	3	4	5	6
Total			Nil	Nil	

for MAYANK P SINGHVI AND CO
Chartered Accountants

Mayank
MAYANK SINGHVI
(PARTNER)
M. No. : 409298
FRN : 0014446C

BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001 RAJASTHAN

Date : 14/01/2021
Place : JODHPUR

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान
श्री सावरलाल
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

AUDIT REPORT

FOR THE ACCOUNTING YEAR

2020 - 2021

OF

SHREE SANWAR LAL
OSTEOPATH CHARITABLE
SANSTHAN

0, KHANDA FALSA, JODHPUR, RAJASTHAN-342001

BY
AUDITORS :

MAYANK P SINGHVI AND
CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN



FORM NO. 10B

[See rule 17B]

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

We have examined the balance sheet of **SHREE SANWAR LAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN** [name of the trust or institution] PAN **AAITS5994B** as at **31/03/2021** and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or institution. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper Returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by us, subject to the comments given below:

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named trust as at **31/03/2021**
- (ii) the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its accounting year ending on **31/03/2021**

The prescribed particulars are annexed hereto.

श्री सावरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर (रा.)

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष



for **MAYANK P SINGHVI AND CO**
Chartered Accountants

Mayank

MAYANK SINGHVI
(PARTNER)

M. No. : 409296

FRN : 0014446C

**BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE,
9TH CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001
RAJASTHAN**

Date : 27/12/2021

Place : JODHPUR

UDIN: 21409296AAA KK3969

Dr. Mayank Singhvi

F.C.A., A.C.S., LL.B., LL.M.
DISA (ICA), Ph.D.

CERTIFICATE COURSE
ON COCURRENT AUDIT
OF BANKS (ICAI)

CERTIFICATE COURSE
ON GST (ICAI)

Bacchraj Ji Ka Bag, 9th Chopasani Road, Near Kothi Heritage,
JODHPUR - 342003 Tel.: 0291-2622205, (O) Mobile : 98289 55565
E-mail : mayanksinghvi@rediffmail.com • Website : www.camayankpsinghvi.com

Branch Office : ► Singhvi Ji Ki Pole, Nagaur - 341001 (Raj.)


► 407, 4th Floor Manimahal, Above PNB, Kalba Devi,
Mumbai - 400002

(70)

ANNEXURE
STATEMENT OF PARTICULARS
I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year	16048273
2.	Whether the trust has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year	No
3.	Amount of income Accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust wholly for such purposes.	No
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	No
	<i>Details</i>	<i>Amount</i>
5.	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	0
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof	Not Applicable
7.	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof	Not Applicable
8.	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
	(a) has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	No
	(b) has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or	No
	(c) has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof	No

श्री सावरलाल औषधियोपेथ



MAYANK P SINCHIA & CO.
 Chartered Accountants
 Mayank P.
 Partner (MAYANK P. SINCHIA & CO.)
 I.A. NO. 40218-57 (MAYANK P.)

श्री सावरलाल औषधियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सावरलाल औषधियोपेथ

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

(71)

II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)

1.	Whether any part of the income or property of the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any			No
	Details	Amount	Rate of Interest Charged	Nature of Security, if any
2.	Whether any land, building or other property of the trust was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any			No
	Details of Property			Amount of rent or compensation charged
3.	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details			No
	Details			Amount
4.	Whether the services of the trust were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any			No
	Details			Amount of Remuneration/ Compensation
5.	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the trust during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid			No
	Details			Amount of Consideration Paid
6.	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the trust during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received			No
	Details			Amount of Consideration Received
7.	Whether any income or property of the trust was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted			No
	Details			Income or value of property diverted
8.	Whether the income or property of the trust was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details			No
	Details			Amount

श्री सावरलाल औद्योगिक संस्थान

श्री सावरलाल औद्योगिक संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

Sl. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col. 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say, Yes/No
1	2	3	4	5	6
Total			Nil	Nil	

for MAYANK P SINGHVI AND CO
Chartered Accountants

Mayank
MAYANK SINGHVI
(PARTNER)
M. No. : 409296
FRN : 0014446C

BACHHRAJ JI KA BAG, NEAR KOTHI HERITAGE, 9TH
CHOPASANI ROAD, JODHPUR-342001 RAJASTHAN

Date : 27/12/2021
Place : JODHPUR

UDIN: 21469296AAAAKK3969

श्री सावरलाल

श्री सावरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सावरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

SHREE SANWARLAL OSTEOPATH CHERITABLE SANSTHAN

KHANDA FALSA
JODHPUR

Balance Sheet

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

73

Liabilities		as at 31-Mar-2021	Assets		as at 31-Mar-2021
Capital Account		7,46,77,299.07	Fixed Assets		6,82,59,661.2
Trust Fund	7,46,77,299.07		BUILDING CHB, JODHPUR	6,38,34,113.00	
			INSTRUMENTS	27,91,547.00	
Loans (Liability)			Air Condition	1,37,489.80	
			AQUA WATER PURIFIAR	2,835.09	
Current Liabilities		10,34,810.19	BATTERY	24,790.00	
Duties & Taxes	1,92,413.00		CAR (FIAT)	1,00,000.00	
Sundry Creditors	2,59,783.19		CCTV	36,500.00	
Creditors for Salary	4,83,647.00		COMPUTER, PRINTER ETC.	2,64,278.72	
ADMIN EXP PAYBLE	1,260.00		FURNITURE & FIXTURES	3,32,548.00	
Audit Exp Payable	60,000.00		GENERATOR	1,96,000.00	
ESI PAYALE	7,445.00		Gyser	69,384.00	
PF PAYABLE	30,262.00		INSTRUMENT	1,53,234.00	
			INVERTOR/BATTERIES	79,830.15	
Suspense A/c			Laptop	53,990.00	
			MOBILE INSTRUMENT	50,000.00	
			REFREZETOR	20,000.00	
			ROOM HEATER	5,450.00	
			Tally Software	20,300.00	
			TVS SCOOTY	12,213.65	
			UPS	4,471.85	
			WATER PUMP	40,686.00	
			WEIGHING SCALE & PRINTER	30,000.00	
			Investments		10,67,742.0
			FIXED DEPOSIT	10,67,742.00	
			Current Assets		63,84,706.0
			Deposits (Asset)	2,40,596.00	
			Loans & Advances (Asset)	(-)9,860.00	
			Sundry Debtors	(-)1,18,741.29	
			Cash-in-hand	19,03,990.60	
			Bank Accounts	43,68,720.69	
			Excess of expenditure over income		
			Opening Balance		
			Current Period	5,95,346.98	
			Less: Transferred	(-)5,95,346.98	
Total		7,57,12,109.26	Total		7,57,12,109.26

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल औस्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

MAYANK PUNJIA & CO
Chartered Accountants
Partner (MAYANK PUNJIA & CO)
M. NO. 119253, P. NO. 119254

74

SHREE SANWARLAL OSTEOPATH CHERITABLE SANSTHAN
KHANDA FALSA
JODHPUR

Income and Expenditure Statement
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Particulars	1-Apr-2020 to 31-Mar-2021	Particulars	1-Apr-2020 to 31-Mar-2021
Indirect Expenses	1,59,24,899.38	Indirect Incomes	1,53,29,552.4
Salary	54,00,716.00	Donation and Other Receipts	1,52,01,104.40
Electricity Expense	22,96,136.00	BANK INTEREST	61,202.00
Petrol and Diesel and Conveyance Expenses	2,66,199.19	INTEREST ON FDR	64,996.00
Professional Expenses	18,84,871.00	Interest on IT Refund	2,250.00
Repair and Maintenance Expenses	9,61,860.00		
Water Expenses	76,220.00	Excess of expenditure over income	5,95,346.9
Advertisement Expenses	1,91,321.00		
Audit Fees	30,000.00		
BANK CHARGES	630.50		
Computer Expenses	7,250.00		
DONATION	72,000.00		
FOOD, TEA, COFFEE ETC. EXP.	13,62,774.00		
House Keeping Expenses	8,80,000.00		
Interest on TDS	390.00		
Medicine/Oil/Gause/Crape Bandage Etc.	4,05,624.00		
NEWS PAPER / PERIODICALS	5,462.00		
OFFICE EXPENSES	2,87,320.00		
OIL Filter and Other Filters	56,014.00		
Plumber Expenses(Indirect)	24,810.00		
Postage and Courier Exp	895.00		
Printing & Stationary Exp.	64,784.00		
Refreshment Expenses	3,83,806.00		
Sundry Expenses	6,40,427.29		
Telephone and Mobile Expense	1,25,801.40		
Travelling Exp.	2,16,071.00		
TV Recharge	83,575.00		
Washing / Cleaning Exp.	1,99,942.00		
Total	1,59,24,899.38	Total	1,59,24,899.3

श्री सांवरलाल



SHAYANK P SINGH
Audited Accountant
Partner: SHAYANK SINGH
C.O. 40,205, P.O. JODHPUR

श्री सांवरलाल औष्टियोपेथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sansthan

Ref.No.

शपथ पत्र

Date : 27/01/22

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर की वर्तमान कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारियों व सदस्यों पर आर्थिक / आपराधिक अपराध का कोई केस विचाराधीन नहीं है तथा सदस्यों पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान पर किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं है।

क सं०	नाम	पद	पता
1.	डा. गोवर्धनलाल पाराशर	अध्यक्ष समिति	कुम्हारिया कुआ खांडा फलसा जोधपुर
2.	डा. गिरिराज पाराशर	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
3.	श्री गोपाल पाराशर	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
4.	डा. नंद किशोर पाराशर	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ खांडा फलसा जोधपुर
5.	श्रीमती शोभा पाराशर	सदस्य समिति	253/2 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
6.	श्री जगदीश नागोरी	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
7.	श्री मधुसूदन पाराशर	सदस्य समिति	2/253-254 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
8.	श्री श्याम सुन्दर	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
9.	श्री अशोक पाराशर	सदस्य समिति	चांदशाह तकिया मार्केट सोजती गेट जोधपुर
10.	श्री शाबीर अंसारी	सदस्य समिति	1st रोड कुम्हारों के मंदिर के पास सरदारपुरा जोधपुर
11.	श्री दिनेश पाराशर	सदस्य समिति	2/253-254 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
12.	श्रीमती मंजूलता	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
13.	श्री हेमन्त कुमार पाराशर	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
14.	श्रीमती नीतू नागोरी	सदस्य समिति	कुम्हारिया कुआ अदा बाजार जोधपुर
15.	श्रीमती समता पाराशर	सदस्य समिति	चांदशाह तकिया मार्केट सोजती गेट जोधपुर
16.	श्रीमती रचना पाराशर	सदस्य समिति	2/253-254 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

(डॉ गोवर्धनलाल पाराशर)

Sector 18, E Chopasani Housing Board Near Narcotics Control Bureau Jodhpur - 342008

Tel : 0291-2972777, 84260-72222, 84260-73333 M. 9929098982, 9829290952, 9413956804

E-mail : drparashar@rediffmail.com Website : www.paincure.co.in

https://www.facebook.com/drparasharg/ www.parasharhealing.com / in

76

Regs. No. 44/Jo./07/08

॥ Jai Shree Krishna ॥

॥ Jai Gurudevay Namah ॥



Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sansthan

Ref.No.

Date : 28.01.2022.

परम आदरणीय आयुक्त महोदय

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर, राजस्थान

विषय: श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर को जयपुर में अपनी सेवाओं के विस्तार हेतु भूमि आवंटित किए जाने बाबत।

महोदय जी,

विनम्रता पूर्वक आपको सूचित किया जाता है कि श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान में किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि भूमि आवंटन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करवाने की महत्ती कृपा करवाएं।

सादर

PARASHAR HEALING

(डॉ. श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान)

श्री सांवरलाल

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर

Sector 18, E Chopasani Housing Board Near Narcotics Control Bureau Jodhpur - 342008

Tel : 0291-2972777, 84260-72222, 84260-73333 M. 9929098952, 9829290952, 9413956601,

E-mail : drparashar@rediffmail.com Website : www.paincure.co.in

https://www.facebook.com/drparasharg/ www.parasharhealing.com / in

77

आज दिनांक 15.01.2022 को श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन संस्थान के मुख्यालय पर समिति के अध्यक्ष महोदय डा. गोवर्धनलाल पाराशर की अध्यक्षता में सांय 02.00 बजे किया गया। जिसमें प्रबंधकारिणी के सदस्य उपस्थित हुए। संस्थान की कार्यकारिणी की इस बैठक में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये :-

प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का विवर	निर्णय
1-	गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	संस्थान की कार्यकारिणी के सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की गत बैठक में लिये गये निर्णयों एवं बैठक कार्यवाही की पुष्टि की गई।
2-	संस्थान के विस्तार हेतु जयपुर में संस्थान के अस्पताल का निर्माण करने एवं अस्पताल खोलने हेतु जयपुर में जमीन कय करने पर विचार।	<p>संस्थान की कार्यकारिणी के उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान के जोधपुर स्थित अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिसमें जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र के बहुत से मरीज इलाज के लिये जोधपुर आते हैं। इन मरीजों को जोधपुर में रहने एवं इलाज करवाने के लिये कई बार अधिक समय लगता है, जिससे इन जिलों के मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जयपुर एवं अन्य आसपास के जिलों के मरीजों द्वारा संस्थान की सेवाओं का जयपुर जिले में विस्तार करने का निवेदन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है लेकिन गत सालों में कोविड 19 के प्रकोप के कारण इस पर प्रगति नहीं हो सकी। जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों के मरीजों की सुविधा हेतु जयपुर में जोधपुर की तर्ज पर अस्पताल बनवाने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अस्पताल को बनवाने के लिये जयपुर में जमीन की जरूरत होगी। जमीन प्राप्त के लिये जेडीए जयपुर में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अस्पताल निर्माण हेतु जमीन प्राप्त करने के लिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को आवेदन करना पड़ेगा। जिसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी :-</p> <p>1- जयपुर विकास प्राधिकरण को संस्थान के लेटर हेड पर अस्पताल बनवाने हेतु जमीन का आवंटन करने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा 5000/-रुपये का पे आर्डर प्रस्तुत करना पड़ेगा, संस्थान के सचिव का सेल्फ डिक्लेरे इन , अस्पताल के निर्माण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संस्थान के रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र एवं उपनियमों की प्रति, जमीन कय करने हेतु संस्थान की कार्यकारिणी के प्रस्ताव की प्रति, संस्थान की पिछले 3 साल की आडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट, कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची तथा संस्थान द्वारा पिछले वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा।</p> <p>संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान के जोधपुर जैसे अस्पताल का जयपुर में निर्माण करवाने हेतु लगभग 4000 स्क्वा.मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22000/-रु० वर्गमीटर हों</p>

Shree Sanwar Lal Osteopath Charitable Sansthan

गोवर्धनलाल

President

Secretary

Treasurer

श्री सांवरलाल औष्ठियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

जोधपुर 1/1/21

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष



Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sansthan

Ref.No.

Date : 28/01/22

परम आदरणीय आयुक्त महोदय

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर, राजस्थान

विषय: श्री सांवरलाल औष्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर को जयपुर में अपनी सेवाओं के विस्तार हेतु भूमि आवंटित किए जाने बाबत।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि श्री सांवरलाल औष्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर विश्वविख्यात औष्टियोपैथिक उपचार केंद्र के रूप में जाना जाता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान है, जिसे बीमारियों को ठीक करने के लिए ओस्टियोपैथी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत किया गया है। श्री सांवरलाल औष्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर द्वारा अस्थि एवं मांसपेशियों की कई बीमारियों जैसे सर्वाइकल स्पोन्डीलाइटिस, माइग्रेन, फ्रोजन सोल्डर, गर्दन की अंकड़न, स्लिप डिस्क, हिप्स एवीएन, घुटने संबंधी रोग जिनमें कार्टिलेज का घिस जाना, आर्थराइटिस, फ्लूइड सूख जाना, घुटने में गैप आ जाना, मोच, एन्काइलोजिंग स्पोन्डीलाइटिस, बोन डिस्लोकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, पेन ड्राप प्रॉब्लम, सर्वाइकल, टेनिस एल्बो, शोल्डर पैन, फुट स्प्रेन, लिगामेंट टियर, बैक स्पाज़्म, कलाई दर्द, स्पाइन फ्लूइड लीकेज, सायटिका, हाथों-पैरों में सूनापन्न जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है।

संस्थान की विशेषता रही है कि जिन असाध्य बीमारियों का उपचार केवल ऑपरेशन द्वारा सम्भव बताया जाता है, उसे भी बिना ऑपरेशन के 3 से 5 दिन में उपचारित कर स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। श्री सांवरलाल औस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर की चिकित्सा पद्धति की विशेषताओं के मददेनजर इसे भारत ही नहीं, विदेशों में भी पहचान मिली है।

28/01/22

Sector 18, E Chopasani Housing Board Near Narcotics Control Bureau Jodhpur - 342008

Tel : 0291-2972777, 84260-72222, 84260-73333 M. 9929098952, 9829290952, 941395660 1,

E-mail : drparashar@rediffmail.com Website : www.paincure.co.in

https://www.facebook.com/drparasharg/ www.parasharhealing.com / in



Shree Sanwarlal Osteopath Charitable Sansthan

Ref.No.

Date : 28/01/22

जोधपुर स्थित संस्थान की तर्ज पर अब हम अपनी सेवाओं को विस्तारित रूप देते हुए राजधानी जयपुर में भी श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान की एक शाखा स्थापित कर सेवाएं देने के इच्छुक हैं। इस हेतु सरकार से अनुरोध है कि संस्थान को लगभग 4000 स्क्वायर मीटर भूमि रिज़र्व दरों की 10% या इससे भी कम मूल्य पर आवंटित की जाए।

पहले भी सरकार द्वारा 2013-14 में हमारे संस्थान को इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 18E चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में 1350 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। उदारता के साथ रोपा यह पौधा आज बूट वृक्ष के रूप में पल्लवित हो चुका है। बाहर से आने वाले रोगियों को ठहरने की सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर संस्थान परिसर में ही प्रदान की जा रही हैं। पूरे राजस्थान के लिए यह गर्व की बात है देश विदेश से आकर रोगी जोधपुर में नाम मात्र के शुल्क पर इलाज लेते हैं। राजधानी जयपुर में संस्थान की शाखा होने से न सिर्फ रोगियों के इलाज को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आवागमन की समुचित सुविधाओं के होने से अधिकाधिक रोगियों की पहुंच में भी होगा।

PARASHAR HEALING

सादर

(डॉ गोवर्धनलाल पाराशर)

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान

अध्यक्ष, श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान, जोधपुर

श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चेरिटेबल संस्थान
S. Sanwarlal
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Sector 18, E Chopasani Housing Board Near Narcotics Control Bureau Jodhpur - 342008

Tel : 0291-2972777, 84260-72222, 84260-73333 M. 9929098952, 9829290952, 941395660 1,

E-mail : drparashar@rediffmail.com Website : www.paincure.co.in

https://www.facebook.com/drparasharg/ www.parasharhealing.com / in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
(प्रकोष्ठ में जमा कराने वाली प्रति)

प्रकोष्ठ Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 759789

खाता / सीएमएस ICICI-675401700500

दिनांक 04/02/2022 Valid upto 06/03/2022

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.SHRI SANWARLAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
कुल योग (अंकों में)		5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

Name of Bank ICICI BANK LTD (valid upto 06/03/2022)

Payment Mode-DD No. 503081 Date 24/01/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा कराया जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।


वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 759789

Contact No. 9829630012

हस्ताक्षर जमाकर्ता



RECEIVED
FOR
NEXT DATE

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 759789

खाता / सीएमएस ICICI-675401700500

दिनांक 04/02/2022 Valid upto 06/03/2022

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.SHRI SANWARLAL OSTEOPATH CHARITABLE SANSTHAN

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
कुल योग (अंकों में)		5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

Name of Bank ICICI BANK LTD (valid upto 06/03/2022)

Payment Mode-DD No. 503081 Date 24/01/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा कराया जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।


वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 759789

Contact No. 9829630012

हस्ताक्षर जमाकर्ता



RECEIVED
FOR
NEXT DATE